ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-6* September-2020
Anthology : The Research

बाल विवाह में कानून की भूमिका
Role of Law In Child Marriage

Paper Submission: 15/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

नीतिका ठोलिया
शोध छात्रा,
समाज शास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

बहुत से सुधारवादी संगठनो जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि द्वारा बाल विवाह के विरूद्व आन्दोलन छेड़ने में अग्रणी भूमिका अदा की जिसके परिणामस्वरूप 1860 में भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष या कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संसर्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1929 में हरविलास शारदा ने बाल विवाह निषेध बिल प्रस्तुत किया जिसे स्वीकृति मिलने पर शारदा–एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1978 में अधियिम में पुनः संशोधन कर लड़के व लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष कर दी गई। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में राज्य सरकार को बाल विवाह निरोधक अधिकारी को लगाने की व्यवस्था की गई, जिसको निर्धारित से कम आयु के बाल विवाह रोकने के लिए अधिकृत किया। अधिनियम लागू होने के पश्चात भी बाल विवाह बेरोकटोक हो रहे है इसलिए कानून को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पुलिस, गैर सरकारी संगठनो को उत्तरदायित्व सौपना चाहिए।

Many reformist organizations such as the Brahmo Samaj, Arya Samaj etc. played a leading role in waging a movement against child marriage, which resulted in the Indian Penal Code in 1860 prohibiting physical contact with a wife of 10 years or less. In 1929, Harvilas Sharda introduced the Child Marriage Prohibition Bill, which became known as the Sharda-Act on acceptance. In this, the minimum marriageable age of the girl was 14 years and for the boy 18 years. In 1978, the act was again amended to reduce the marriageable minimum age of boy and girl to 21 and 18 years respectively. In the Prevention of Child Marriage Act 2006, the State Government made arrangements to appoint a Child Marriage Prevention Officer, who was authorized to stop child marriages below the prescribed age. Even after the enactment of the Act, child marriages are going on unabated, so the local public representatives, police, NGOs should be entrusted with the responsibility to make the law effective.

मुख्य शब्द : बाल विवाह, ब्रह्म समाज, आर्य समाज ।
Child marriage, Brahmo Samaj, Arya Samaj.

प्रस्तावना

बाल विवाह को रोकने संबंधी पहली याचिका भारत सरकार को मेरठ के निवासियों ने प्रस्तुत की थी जो 27 जुलाई 1886 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार ब्रह्म समाज, आर्य समाज व अन्य धार्मिक सामाजिक सुधारवादी संगठनों ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता दर्शायी। ईश्वरचन्द विद्यासागर के बाल विवाह रोकने के प्रयास सफल हुए जब 1860 में भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष से कम की विवाहित पत्नी के साथ शारीरिक संसर्ग को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। 1880 में बाल विवाह पर उग्र विचार–विमर्श किए गए। चर्चा के समापन सत्र पर फूलमणि की ग्यारह साल की आयु में मृत्यु हो गई जब उसके पति ने उससे अत्यन्त दर्दनाक रूप से बलात्कर किया। इस स्थिती की विकरालता को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 500 महिला चिकित्सको ने वायसराय को प्रतिवेदन देकर बाल विवाह पर रोक लगाने की मांग की। उस प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में हिन्दू विवाह अधिनियम 1927 में विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई इसी क्रम में लड़के की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929

बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 एक अप्रेल 1929 से प्रभावी हुआ। जिसका उद्देश्य बाल विवाह पर प्रभावी रूप से रोक लगाना था। जिससे

निर्धारित आयु से कम के लड़के व लड़की का विवाह करना गैर कानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह का अपराधी पाये जाने पर युवक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित सजा दी जायेगी। जिसमें न्यायालय एक माह की सजा या एक हजार रूपये जुर्माना कर सकता है। समस्या की गंभीरता पाए जाने पर दोनो सजाएं दी जा सकती है। इसमें लड़की को कोई सजा नही रखी गई थी जो उसके पिता या संरक्षक पर होनी थी।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 के अनुसार बाल विवाह के अपराध पर सजा किसी न्यायालय द्वारा ही सुनायी जा सकती है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध कृत्यो पर कोई न्यायालय सुनवाई करने व सजा सुनाने के लिए तब तक अधिकृत नही है, जब तक केन्द्रीय काउंसिल या राज्य की इसी प्रकार की काउंसिल द्वारा मामले की सुनवाई करने के लिए निर्देश प्रदान नहीं किए जाने। इन प्रावधानो के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय को बाल विवाह संबंधी मामले पर सुनवाई के निर्देश पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तत्कालीन अधिनियम के माध्यम से कोई सक्षम कार्यवाही संभव नहीं थी, जिससे बाल विवाह को अधिकारपूर्वक रोका जा सके। सामान्य स्थिति में न्यायालय कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे बाल विवाह करने वाले लोगों को किसी प्रकार का दण्ड दिया जावे और बाल विवाह करने वाले लोग इस प्रकार की दण्डात्मक स्थितियों से बचे। बाल विवाह रोकने के निर्देश केन्द्रीय या राज्य सक्षम एजेन्सी द्वारा मिलने पर ही न्यायालय कार्यवाही कर सकता है, सामान्य स्थिति में किसी राजकीय एजेन्सी द्वारा न्यायालय को बाल विवाह रोकने के निर्देश नहीं दिए जाते। इस कारण बाल विवाह पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लग सकी।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 प्रभावी होने के पश्चात बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 समाप्त हो गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को प्रभावी रूप न दिए जा सकने के कारण बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 संसद से पारित कराने के पश्चात प्रभावी करना सरकार ने आवश्यक माना। विवाह के लिए निर्धारित आयु पुरूष के लिए 21 वर्ष तथा महिला के लिए 18 वर्ष से कम आयु के लोगो को बालक माना गया है।

अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत बाल विवाह निरोधक अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक बाल विवाह को अवैध घोषित किया जा सकता है जो अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व या पश्चात किए गए। इसके लिए बाल विवाह करने वाले समूह इसके लिए तैयार हो। इसके लिए सम्बद्ध पक्षों में से कोई एक पक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे कि विवाह किए जाने के समय बालक या बालिका विवाह योग्य नहीं थी। यह वाद जिला–न्यायालय में किसी पक्ष के माता–पिता या संरक्षक द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार का वाद न्यायालय में बालक या बालिका के वयस्क होने के 2 वर्ष बाद तक दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार के वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य बाल विवाह को अवैध घोषित करना होता है।

अधिनियम धारा 3(4) के अन्तर्गत बाल विवाह अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में लड़की अपने परिवार के साथ चली जावेगी और विवाह में दिए सभी उपहार या उसके बराबर राशि वापस लौटा दिए जायेंगे। न्यायालय दोनो पक्षो को बुलाकर भी इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर सकता है। अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) में वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत विवाह अयोग्य ठहराए जाने की स्थिती में वर पक्ष वधू पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि प्रदान करेगा जब तक उस लड़की का विवाह नहीं हो जाता है। बालिका को भरण–पोषण राशि का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जावेगा। जिसमें वर पक्ष के जीवनयापन की स्थिती को भी दृष्टिगत रखा जावेगा।

अधिनियम के सेक्शन 10(1) के अंतर्गत बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह कराता है अथवा उसका भागीदार होता है तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो लड़की के पिता के लिए निर्धारित की गई है।

इस प्रकार बाल विवाह कराने वाले पिता, रिश्तेदार आदि सभी नियम के अन्तर्गत उसी सजा के भागी होते है, जिन्हे बाल विवाह रोकने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है अथवा उन्हें बाल विवाह रोकने के लिए शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि धारा 13 के अन्तर्गत रोकी गई बाल विवाह की स्थिती पूरी तरह अवैध रहेगी और उसको कार्यरूप देने वाले सजा के भागी होंगे।

बाल विवाह निरोधक अधिकारी को धारा 16(4) के अन्तर्गत दायित्व सौपे है जिसके अनुसार :–

1. बाल विवाह रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
2. जो लोग अधिनियम की पालना नहीं करते है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
3. बस्तियों के लोगो से यह अनुरोध किया जावे कि वे बाल विवाह को बढावा देने, सहयोग प्रदान करने जैसी कार्यवाहियो से बचे और लोगो को भी इनके रोकने के लिए प्रेरित करे।
4. बाल विवाह के दुष्परिणामों की विवेचना करते हुए लोगों को इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करें।
5. बस्ती के लोगो को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए इसे छोडने का सुझाव दे।
6. राज्य सरकार को नियमित प्रगति की सूचना भेजे।
7. राज्य सरकार द्वारा सौपे गए सभी दायित्वों को पूरा करे।

बाल विवाह अधिनियम के निष्प्रभावी रहने के कारण

बाल विवाह अधिनियम 2006 को पूरे देश में बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। इसके पूर्व बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बहुत सी कमियां विद्यमान थी, जिन्हें

हटाकर नए अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि इससे बाल विवाह पर पूरी तरह से नियंत्रण लागू हो जावेगा। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात भी बाल विवाहों पर कोई रोक नहीं लग पायी जैसा यूनीसेफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ। इसमें राज्यवार बाल विवाहों की स्थिति का अन्तर यह दर्शाता है कि राज्य सरकार इसे लागू करने में शिथिलता रख रही है। हिमाचल प्रदेश में केवल नौ प्रतिशत बाल विवाह होना और राजस्थान में 36 प्रतिशत बाल विवाह स्थिति को स्पष्ट करता है। मूण्डवा नगर का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि बाल विवाह पर कोई रोक–टोक नहीं रखी गई तथा लड़के व लड़की के माता–पिता कुछ सावधानियां रखते हुए निरन्तर बाल विवाह कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में 42 प्रतिशत बाल विवाह का होना यह स्पष्ट कर देता है कि बालविवाह अधिनियम उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो सका जिसके लिए भारत सरकार ने इसे लागू किया था। इसके बहुत से कारण हैं। बाल विवाह समाज की आस्था से जुड़ा हुआ कार्य है, जिसमें दोनों अवयस्कों की शादी प्रचलित मान्यताओं के आधार पर की जाती है। कई मामलों में प्रचलित मान्यताएं शासकीय कानून पर अधिक प्रभावी बन जाती है, जिस कारण प्रशासन ऐसे मामलों पर सामान्य परम्परा का निर्वाह करते हुए सख्ती नहीं करना चाहता।

बाल विवाह को रोकना ऐसा कठिन कार्य नहीं है, जिसे प्रशासन चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता है। वास्तविकता यही है कि सामाजिक विषय होने व लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय होने से कोई भी पदाधिकारी अपने दायित्व के निर्वाह करने में शिथिलता बरतता है, जो सामान्य स्थितियां दर्शाता है। कम से कम राजस्थान के बारे में यही बात कही जा सकती है। दूसरी स्थिति जनमानस में साक्षरता का प्रसार करना केन्द्र राज्य संबंध के विषयों में राज्य की जिम्मेदारी है। साक्षरता की वृद्धि से लोग इन सभी बुराइयों वाले कार्यों को नहीं करेंगे जिससे उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान में बाधा पहुंचती है। इन कार्यों में बाल विवाह के अतिरिक्त अन्य भी कई कार्य है जो जनता समझकर निर्णय करे।

यदि साक्षरता व जागरूकता की वृद्धि सरकार द्वारा नहीं की जाती तो बाल विवाह जैसे अनेक विषय पनपते जावेंगे जो समाप्त करके गरीब जनता की भलाई करने के स्थान पर पुरानी रूढ़िवादिता से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रही है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी हास्यास्पद स्थिति ही मानी जावेगी कि कानून के पालन के स्थान पर लोगों से यह अपेक्षा की जावे कि वे शिक्षित व जागरूक होकर स्वतः बाल विवाह करने से परहेज करेंगे। यही कल्पना जनसंख्या के सफल नियंत्रण के लिए भी कही जा सकता है।

बाल विवाह प्रथा अपनी समस्त बुराइयों के साथ पूरे देश में फैली हुई है। जहां कोई कानूनी व्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस या प्रशासन सूचना मिलने पर समझा बुझाकर बाल विवाह रूकवा सकते हैं किन्तु कानून की पालना नहीं करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्यवाही करने की स्थिति नहीं दिखाना चाहते। बाल विवाह के पक्ष व विपक्ष में कितनी भी दलीलें दी जावे किन्तु जब तक जनता स्वयं इसके लिए तैयार नहीं होगी, बाल विवाह की समस्या देश में बनी रहेगी। हमारे देश के ब्रिटिश शासन के समय ही यह कानून बन गया था और बहुत से संशोधनों व नए परिवर्तित कानून के रूप में देश में 2006 के अधिनियम के रूप में लागू किया।

बाल विवाह प्रथा देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में यथावत जारी है और कानून बनाकर अपना दायित्व पूरा होना मानना सरकार का रूख दिखाई देता है। इसी प्रकार जनता अपने पुत्र व पुत्रियों के विवाह कब करें यह आयु निर्धारण के बदले उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इस स्थिति की स्वीकार्यता ही इसका दृष्टव्य हल है। जिसे विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा कितना भी प्रचारित किया जावे, सरकार व जनता अपने–अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखेंगे। सरकार का यह तरीका माना जा सकता है कि उनके पास कोई सूचना मिलने पर बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही तत्काल की जावेगी। जनता बाल विवाह में किसी प्रकार की बुराई नहीं मानती इसलिए अपनाती है।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के समस्त विधायी प्रावधानों की समीक्षा करने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने उतने कठोर उपाय नहीं किए जो गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको उतना कठोर नहीं बनाया गया, जो जघन्य अपराधों के लिए निर्धारित किया जाता है। इस दृष्टि से बाल विवाह अधिनियम की स्थितियों के साथ–साथ उन्हें प्रभावी बनाने की स्थितियां भी जिम्मेदार मानी जाती है।

बाल विवाह अधिनियम को प्रभावी बनाने के उपाय

बाल विवाह को जारी रखना या प्रभावी रूप से रोकना राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अधिनियम के स्वरूप व उसके निष्प्रभावी होने की स्थितियों पर विचार करने से यह स्पष्ट हुआ कि अधिनियम की पालना के लिए नियम बनाए जाने चाहिए, जिनके पालन करने से बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जावेगी। देश या प्रदेश की जनता को जब तक कानून में ढील दिखाई देती है, तभी तक उनको प्रयोग में लाते हैं और जब उन्हें यह लगने लगता है कि कानून के उल्लंघन करने पर उन्हें बहुत से दुष्परिणाम भोगने होंगे तो वे कानून की पालना करने की आदत डाल लेंगे। लोगों को यह स्वयं प्रतीत होना चाहिए कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम उनकी भलाई के लिए बनाया गया है।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नियम बनाकर राज्य सरकार को प्रसारित कर देना चाहिए और उनकी पालना की जिम्मेदारी विकेन्द्रित कर दी जानी चाहिए। वर्तमान में कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी रहने के कारण वे तत्परता से उनकी पालना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्रत्येक घर पर जाकर जानकारी करना व इसे रोक पाना संभव नहीं रहता। स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जाने पर उनकी पालना सुनिश्चित होना संभव होता है। इस दृष्टि से राजकीय अधिकारी व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों को यह उत्तरदायित्व सौंपकर कठोरता से लागू कराना चाहिए।

इस प्रकार बाल विवाह नहीं रोक पाने के कारण उन पर जब प्रतिबंध या दण्ड की व्यवस्था होगी तो वे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन तत्परता व निष्ठापूर्वक करेंगे।

अध्ययन का उद्देश्य

बाल विवाह अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व

राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच व वार्ड पंच जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र की समस्त गतिविधियों की जानकारी होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण स्थानीय निवासियों का दायित्व बढ़ जाता है तथा इन चुने हुए प्रतिनिधियों पर बाल विवाह रोकने का उत्तरदायित्व डालने से वे उसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व का निर्वाह करना उनका दायित्व बन जाता है। जब जनप्रतिनिधियों के ऊपर अधिनियम पालना का उत्तरदायित्व है तो उसमें कुछ कठोरता लानी भी आवश्यक होती है।

इसके लिए पंचायतीराज की अधिनियम में भी संशोधन करना आवश्यक होगा, क्योंकि एक अधिनियम के प्रावधानों को दूसरे अधिनियम के प्रावधानों के साथ जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। बाल विवाह रोकना जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व है, जिसका निर्वाह करना उनके लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अन्य लोगों पर भी उत्तरदायित्व सौंपना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर नियमों की स्थिति अधिनियम सरीखी हो जावेगी और इसका कोई लाभ नहीं हो सकेगा। सामान्यतया निर्वाचन में हारा हुआ जनप्रतिनिधि पंच व सरपंच की कार्य अवहेलना की सूचना जिला प्रशासन को अवश्य भेजेगा, जिससे उसका हित भी बनेगा। इसी प्रकार कई तरीके इसके लिए सम्बद्ध करने आवश्यक होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के समान ही नगरीय क्षेत्रों में बाल विवाह होने का उत्तरदायित्व वार्ड पंच व नगर निगम अध्यक्ष को सौंपना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहते हैं और उनके सामाजिक कार्यों में भी सम्मिलित होते हैं। वार्ड पंच व अध्यक्ष पर उत्तरदायित्व समय पर जिला प्रशासन को सूचना देने की है, जो टेलीफोन या पत्र द्वारा की जा सकती है। टेलीफोन पर दी गई सूचना के पुष्टि स्वरूप पत्र भेजना भी आवश्यक है जो लिखित रिकार्ड का कार्य करता है। ऐसे मामलों में लिखित रिकार्ड की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है और उसके लिए व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

अधिनियम में 16(2) के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों को इस उत्तरदायित्व के निर्वाह कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी धारा के अन्तर्गत ग्रामीण व नगरीय जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व सौंपना उचित तरीका है, जिससे सरकार को केवल नियमों का नोटीफिकेशन जारी करना होगा। अन्य स्रोतों को भी इसमें जोड़ना आवश्यक है और नगरीय व ग्रामीण प्रतिनिधियों द्वारा उत्तरदायित्व के निर्वहन की अवहेलना करने के लिए निर्धारित दण्डात्मक उपाय करने आवश्यक हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियें को जब यह ज्ञात हो जायेगा कि उनके अतिरिक्त भी अन्य माध्यमों से सूचना प्रशासन तक पहुंचेगी। इस कारण वे अपने उत्तरदायित्व में ढिलाई नहीं रख सकते।

समीपवर्ती राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व

शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव के बच्चे विद्यालय आते हैं जिनसे गांव में होने वाले बाल विवाह की जानकारी देने के लिए प्रधानाध्यापक कह सकते हैं। साथ ही अध्यापकों को छात्र–छात्राओं के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। सूचना मिलने पर वे तिथि सहित जानकारी जिला प्रशासन को भेजना विद्यालय के प्रधानाध्यापक व किसी अध्यापक के नाम से सौंपी जानी चाहिए, जिससे वह बाल विवाह की जानकारी समय से पूर्व भेज सके। यही व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में भी लागू करना आवश्यक है। इस प्रकार अध्यापकों को बाल विवाह रोकने के लिए उत्तरदायी बनाना आवश्यक है तथा यह व्यवस्था बाल विवाह रोकने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और कारगर होने वाली प्रक्रिया है।

इसके लिए प्रत्येक गांव से आने वाले बालकों को यह उत्तरदायित्व दिया जा सकता है कि अपने–अपने गांव में बाल विवाह होने की सूचना उनकी जानकारी में आते ही उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। विद्यालय व शिक्षकों का माध्यम समय । पर व सही जानकारी देने की कारगर व्यवस्था बन सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए केवल एक माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए शिक्षको को उत्तरदायित्व सौंपने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही बाल विवाह की जानकारी मिल जाने से इसके आधार पर पूरी कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है। इसमें सबसे पहले व प्रमाणित जानकारी इसी स्रोत द्वारा ज्ञात होगी और प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोकने की पूरी कार्यवाही संभव हो सकेगी।

स्थानीय पुलिस स्टेशन का दायित्व

पुलिस स्टेशन का कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है इसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जहां पुलिस की पहुंच नहीं होती। प्रत्येक गांव ढाणी तक का क्षेत्र पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत प्रत्येक गांव को जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था इसलिए निर्धारित की जाती है जिससे कोई भी निवासित गांव पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होने से रह जाता है। बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस का उत्तरदायित्व रखने से बाल विवाह रोकना संभव है। उन्हें सबसे पहले बाल विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष पुलिस स्टेशन के अधीन आता है, उसके पुलिस स्टेशन इंचार्ज द्वारा लड़का व लड़की के माता पिता को बाल विवाह नहीं करने का आग्रह करना चाहिए और उन्हें चेतावनी भी देनी चाहिए।

ग्रामीण नगरीय क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को बाल विवाह रोकने के उत्तरदायित्व का पालना नहीं करने पर पहले दो अवसरों पर चेतावनी तथा तीसरे अवसर पर एक

वेतन वृद्धि रोक देनी आवश्यक है, जिससे वे लोग उत्तरदायित्व पूरा करने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं रखी जावे। बाल विवाह रोकने के लिए सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखना चाहिए, जिससे कोई भी परिवार बाल विवाह नहीं करे। इस व्यवस्था के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाल विवाह करने वाले परिवार को यह भी बता देना चाहिए कि इसकी सजा दो वर्ष है और उसके अतिरिक्त एक लाख रूपये तक के जुर्माने का भी अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

गैर सरकारी संगठनों का उत्तरदायित्व

गैर सरकारी संगठन का कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है और वे उस क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली स्थानीय लोगों के सहयोग से अपने निर्धारित कार्य पूरे करने की होती है। इस प्रकार अपने कार्य संचालन में उन्हें क्षेत्र के निवासियों का योगदान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र के निवासियों का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर उठाने का होता है जिससे वे सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्थान के लिए ऐसे संगठनों का सहयोग प्राप्त कर सके। बाल विवाह को रोकना इन संगठनों का उत्तरदायित्व है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कोई बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन का उत्तरदायित्व यह निर्धारित करना चाहिए कि वे बाल विवाह के सम्बन्ध में विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम, पता आदि लिखकर तारीख भी बताये जिस दिन बाल विवाह होना निश्चित किया गया है। अपने उत्तरदायित्व की पालना नहीं करने पर गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष को प्रथम तीन बार चेतावनी के बाद भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उसका पंजीकरण रद्द करना आवश्यक है। यह व्यवस्था बाल विवाह निरोधक अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाकर उनकी जानकारी सभी संबंधितों को देनी चाहिए जिससे अनुपालना नहीं करने पर की गई कार्यवाही के विरूद्ध वे न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सके।

बाल विवाह बेरोकटोक होने का एक मात्र कारण यह है कि राज्य सरकार – अधिनियम की अनुपालना में ढिलाई बरत रही है जो किसी भी प्रकार उचित नहीं है। यदि राज्य सरकार कानून का पालन नहीं करती तो उसकी स्थिति अराजकता की बनती है। इसलिए अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को बनाकर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों व संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंपकर कानून की पालना कराना आवश्यक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम इस कारण बनाया व प्रभावी किया गया है कि इसके कारण बहुत से कष्टकारी कारण बनते हैं जो रोकना राज्य सरकार का दायित्व है। जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, पुलिस व गैर सरकारी संगठन के सहयोग से बाल विवाह को पूरी तरह रोकना सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *बी. एस. नेगी (1993) चाइल्ड मेरिज इन इण्डिया।*
2. *बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की स्थितियों की व्याख्या।*
3. *बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006।*
4. *इण्डियन सेन्टर फार रिसर्च आफ वुमन इण्डिया 2008।*
5. *यूनीसेफ अध्ययन रिपोर्ट 2019 ।*
6. *जी.बी.पन्त इंस्टीटयूट ऑफ स्टडी इन रूरल डवलपमेंट की रिपोर्ट का विश्लेषण।*